



Office of
EXECUTIVE ENGINEER, SUKET DIVISION
Himachal Pradesh Public Works Department Sundernagar
Ph. 01907-266245, Fax: 266845, E-mail ee-sun-hp@nic.in

①

No.PW-SNR-WA. R-27(Forest)/2025/- 5856 58

Dated: - 11-9-2025

To

Deputy Conservator of Forests,
Suket Forest Division,
Distt. Mandi(H.P.)

Subject: -

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

3.	प्रतिपूरक वनीकरण :	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.3352 हे० वन क्षेत्र 53A/15, Serikothi Beat, Batwara Block, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	<i>यह वन विभाग से सम्बन्धित है।</i>
(ख)	राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartment/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	<i>यह वन विभाग से सम्बन्धित है।</i>
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	<i>यह वन विभाग से सम्बन्धित है।</i>
(घ)	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, आवश्यकता अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.6676 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 1.6676 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान 16,76,288/- धन राशी दिनांक 01-07-2023 को सृजित ई-चालान के माध्यम से केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। जमा राशि का ऑनलाइन चालान की कॉपी और विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई होगी, जो अंतिम रूप देने के बाद देय होगी राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित कर दी जाएगी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be	<i>This Point Pertains to Forest Department.</i>

7.	FRA Certificate along with all prescribed annexure including all records of consultations and meetings with Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages shall be submitted before Stage-II (Final) approval.	The certificate confirming full compliance with the provisions of the Forest Rights Act, 2006, duly issued by the concerned District Collector, has been submitted/attached.
8.	Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to soil erosion/landslide, therefore as per the recent directions of MoEF&CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.	The HPPWD has already submitted the Soil and Moisture Conservation Plan (SMP), indicating both engineering and biological measures along with the cost estimates. The cost thereof has been deposited against 0.5% of the project cost, proportionate to the concerned forest land.
9.	एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।	एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

12.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
13.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, निर्देशानुसार लक्षित किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
14.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
15.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल(https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल(https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड 26,42,585/- दिनांक 01-07-2023 को सृजित ई-चालान के माध्यम से केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। जमा राशि का ऑनलाइन चालान की कॉपी और विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।
16.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू होने पर प्राप्त कर दिया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
17.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
18.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

19.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
20	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
21	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
22	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
23	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा जिसमें अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे नहीं गिरेगा। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का

	निस्तारण स्थलों को राज वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
27	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
28	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


 Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HP.PWD. Sundernagar

Copy of the following for information:

1. The Assistant Engineer, ^{Suket} Sub-Division H.P.P.W.D. ^{Suket} at Sunder Nagar.
2. The FCA Consultants, Sh. Naresh Kumar R/O Nerchowk Distt. Mandi HP-175008.

I/C R.K.

 12/09

FCA

 12/19



Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HP.PWD. Sundernagar



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfsuket123@gmail.com

No./RK./FCA./Kangri-Jeghali./ 7697

Date./Suket./ 08-10-2025

From: D.C.F. Suket

To : C.F. Mandi (T)

Subject: Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division .Mandi H.P. (Online Parivesh 1.0 proposal No.FP/ HP/ Road/ 52156/2020)

Memo

In this context, the In-Principal approval under Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in the said case of Diversion of 1.6676 ha. of forest land in favour Construction of Kangri to Jeghali via Jaral road from the GoI, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Chandigarh (Sub-Office Shimla) HP has been granted on date 28/03/2023. The compliance report of the conditions stipulated therein is hereby submitted for your kind perusal and further necessary action.

क्र० सं०	विवरण	अनुपालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी ।	वन भूमि की विधिक स्थिति को नहीं बदला जाएगा । इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है ।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी ।	मंजूर, वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है ।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण:	
(क).	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.3352 हे० वन क्षेत्र 53A/15, Serikothi Beat, Batwara Block, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi में प्रतीपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए ।	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है ।
(ख).	राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartment/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है ।



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail - dfosuket123@gmail.com

(ग).	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणालि पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
(घ).	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)	
(क).	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 14 नंबर 556 दिनांक 30 2023 10.2002 01.08.2003. 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC (Vol-1), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.6676 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य मु० 16,76,288/- रुपए , प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए मु० 8,56,587/- रुपए एवं मृदा संरक्षण के लिए मु० 1,09,710/- कुल 26,42,585/- रुपए हिमाचल प्रदेश CAMPA fund में जमा कराए हैं और इसकी रसीद की कॉपी साथ में संलग्न है। वचनबद्धता रिपोर्ट भी साथ संलग्न है।
(ख).	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशी, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ प्रस्तुत करेगा।	वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
5.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

	submitting a compliance report for seeking Stege-II approval, as the case may be.	
7.	FRA Certificate along with all prescribed annexure including all records of consultations and meetings with Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages shall be submitted before Stage-II (final) approval.	इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
8.	Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to soil erosion/landslide, therefore as per the recent directions of MoEF&CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-1 compliance. However, in cases where it not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-1 compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
9.	एफ.आर.ए.-2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इस आशय में वचनबद्धता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

12.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
13.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
14.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
15.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य के मु० 16,76,288/- रुपए , प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए मु० 8,56,587/- रुपए एवं मृदा संरक्षण के लिए मु० 1,09,710/- कुल 26,42,585/- रुपए हिमाचल प्रदेश CAMPA fund में जमा कराए हैं और इसकी रसीद की कॉपी साथ में संलग्न है। इस आशय से वचन वधता भी रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
16.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
17.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

		आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
18.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
19.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
20.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
21.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय से वचन वधता रिपोर्ट प्रेषित की है जो साथ संलग्न है।
22.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मंजूर, वचन वधता रिपोर्ट साथ संलग्न है।
23.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मंजूर, वचन वधता रिपोर्ट साथ संलग्न है।



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

24.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	मंजूर , वचन वधता रिपोर्ट साथ संलग्न है ।
25.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय से वचन वधता
26.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मंजूर , वचन वधता रिपोर्ट साथ संलग्न है ।
27.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय से वचन वधता
28.	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण का इस आशय से वचन वधता

Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi (H.P.)

Endst./RK-FCA./

Date./Suket./

Copy for the favour of information & n/action is forwarded to:

1. The Executive Engineer HPPWD Division Sundernagar w.r.t. his office Letter No. PW-SNR-WA. R-27 (Forest)/2025/- 5856-58 dated 11/09/2025.
2. RFO Kangoo.

-Sd./-
Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar Distt. Mandi (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

9

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

शपथ पत्र

Referenc: Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division .Mandi H.P. (Online Parivesh 1.0 proposal No.FP/ HP/ Road/ 52156/2020)

क्र० सं०	विवरण	अनुपालना रिपोर्ट
(क).	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.3352 हे० वन क्षेत्र 53A/15, Serikothi Beat, Batwara Block, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi में प्रतीपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	मंजूर


Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.)



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

शपथ पत्र

Referenc: Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division .Mandi H.P. (Online Parivesh 1.0 proposal No.FP/ HP/ Road/ 52156/2020)

क्र० सं०	विवरण	अनुपालना रिपोर्ट
3 (ख)	राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartment/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	मंजूर

**Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.)**



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS

SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002

PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

शपथ पत्र

Referenc: Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division .Mandi H.P. (Online Parivesh 1.0 proposal No.FP/ HP/ Road/ 52156/2020)

क्र० सं०	विवरण	अनुपालना रिपोर्ट
3 (ग).	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रणाल पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।


Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.)

Certificate

This is to certify that the plantation area **3.3352 ha.** under compensatory afforestation in Batwara Block of Kangoo Forest Range, Suket Forest Division selected in lieu of diversion of land for the C/o Kangri to Jeghali road via Jaral has not been planted prior under any plantation scheme of the department.

Date:

4/5
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sunder Nagar (H.P.)-174401


Range Forest Officer
Kangoo Forest Range

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
3.	प्रतिपूरक वनीकरण :	
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.3352 हे० वन क्षेत्र 53A/15, Serikothi Beat, Batwara Block, Kangoo Forest Range, Suket Forest Division, Distt. Mandi में प्रतीपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।	यह वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ख)	राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartment/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	यह वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	यह वन विभाग से सम्बन्धित है।

<p>(घ) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, आवश्यकता अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।</p>
--	--


 Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
 Date:-10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.6676 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 1.6676 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान 16,76,288/- धन राशी दिनांक 01-07-2023 को सृजित ई-चालान के माध्यम से केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। 1 जमा राशि का ऑनलाइन चालान की कॉपी और विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई होगी, जो अंतिम रूप देने के बाद देय होगी राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
-----	---	--

c/s

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
5.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

c/s

Place:- Sunder Nagar
Date:- 10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

(15)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	<i>This Point Pertains to Forest Department.</i>

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar



Office of DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01907 - 267228, e.mail – dfosuket123@gmail.com

शपथ पत्र

Referenc: Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division .Mandi H.P. (Online Parivesh 1.0 proposal No.FP/ HP/ Road/ 52156/2020)

क्र० सं०	विवरण	अनुपालना रिपोर्ट
6.	The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting a compliance report for seeking Stege-II approval, as the case may be.	मंजूर

Deputy Conservator of Forests
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	FRA Certificate along with all prescribed annexure including all records of consultaions and meetings with Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages shall be submitted before Stage-II (Final) approval.	The certificate confirming full compliance with the provisions of the Forest Rights Act, 2006, duly issued by the concerned District Collector, has been submitted/attached.

C/s

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

1535
07-7-25
(17)

FORM I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the

30.06., 2025

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 12-01-12 Bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali road Km 0/00 to 2/800 falls within the jurisdiction of DPF Gaihru village in Sundernagar Tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 12-01-12 Bighas of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.


District Collector,
Mandi District Mandi H.P.

Send to the Executive Engineer Sundernagar Division (HPPWD)
Dispatch No. :- 21646

Division

FORM I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Mandi

Dated Mandi, the 30.06., 2025

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 08-10-13 Bighas of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali road Km 0/00 to 2/800 falls within the jurisdiction of Jaral village in Sundernagar Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for the identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 08-10-13 Bighas of the forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the gram sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

This certificate is being issued in the light of guidelines given in letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 05-02-2013.

Encl.: As above.

District Collector,
Mandi District Mandi H.P.

Amar - 11

OFFICE OF THE SDO (CIVIL), Sundernagar
DISTRICT Mandi (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the Sub-Division level Committee of Sundernagar Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship / chairpersonship of Mr. / Ms. Amar Negi SDO (Civil) Sundernagar on 31-01-25 at 3:30 AM/PM at Sundernagar (Place) in which the application(s) claiming rights in _____ forest areas under FRA, 2005, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee(s) of DPF Gaibru / Jaisal Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application:-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended/not Recommended)</u>
1. <u>Executive Engineer Sundernagar</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	
3.	

Place: Sundernagar
Date: 31-01-25

[Signature]
SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub-Division level Committee,
Sundernagar Sub-Division.

[Signature]
Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

[Signature]
Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

सार्वजनिक सूचना

वन अधिकार समिति :-DPF गैहरू/ जरल
मुहाल सभा:-DPF गैहरू/ जरल
ग्राम पंचायत:- जरल

दिनांक:-20-06-2014

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जरल अन्तर्गत मुहाल DPF गैहरू/ जरल में वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 20-06-2014 को हो चुका है।

अतः इस मुहाल DPF गैहरू/ जरल के अन्तर्गत वन अधिकार से सम्बन्धित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप करना चाहता है तो नोटिस जारी करने की दिनांक से 90 दिनों के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष/ सचिव

सचिव

दिनांक :- 20-06-2014
स्थान :- जरल

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल DPF गैहरू/ जरल
ग्राम पंचायत जरल
तहसील सुन्दर नगर जिला मंडी (हि प्र०)

सचिव
ग्राम पंचायत जरल
विकास खाण्ड सुन्दर नगर
तहसील सुन्दर नगर जिला मंडी

~~Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar~~


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar.

अधिकार समिति (FRC) DPF गैहरू/ जरल के गठन बारे


22

प्रमाणित किया जाता है की दिनांक 20-06-2014 को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल की बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत जरल के प्रधान/मैम्बर श्रीमती मनशा राम की अध्यक्षता में वन अधिकार समिति (FRC) DPF गैहरू/ जरल के गठन हेतु जरल पंचायत में किया गया जिसमें मुहाल सभा सदस्यों की उपस्थिति 210 रही। मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल के सदस्यों की कुल संख्या 418 है। मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल में 210/418 सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से वन अधिकार समिति (FRC) के लिए निम्नलिखित सदस्यों का चयन किया गया है जो निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	नाम	पितापति का नाम/	पद	वर्ग
1	बोध राज	दिला राम	अध्यक्ष	सामान्य
2	सुभाष चन्द	धनी राम	सचिव	
3	जय राम	रिगलू राम	सदस्य	अनु० जाति
4	कांता देवी	मणि राम	सदस्य	अनु० जाति
5	सुख राम	गुलाबा राम	सदस्य	अनु० जाति
6	प्रेम लता	प्रेम लाल	सदस्य	सामान्य
7	रूप चन्द	धनी राम	सदस्य	अनु० जाति
8	धनी राम	हरि राम	सदस्य	सामान्य
9	शकुंतला	रतन लाल	सदस्य	अनु० जाति
10	सवित्री	डिमेश्वर दत्त	सदस्य	सामान्य
11	रुको देवी	कृष्ण लाल	सदस्य	सामान्य
12	रूप सिंह	धर्म दास	सदस्य	सामान्य

तत्पश्चात वन अधिकार समिति (FRC) DPF गैहरू/ जरल सर्व सम्मति से श्री बोध राम को अध्यक्ष तथा श्री सुभाष चन्द को सचिव चुना गया।


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar


ह. सी. मोहर सहित
ग्राम पंचायत जरल,
पंचायत सचिव, मण्डी (हि. प्र.)

~~Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar~~

सूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006

23

वन अधिकार समिति :- DPF गैहरू/ जरल

मुहाल सभा :- DPF गैहरू/ जरल

ग्राम पंचायत :- जरल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या :- 01

दिनांक :- 20-06-2014

वन अधिकार समिति मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल की बैठक आज दिनांक 20-06-2014 को 11:00 बजे स्थान DPF गैहरू/ जरल श्री/श्रीमति मनशा राम की अध्यक्षता में की गई जिसमें DPF गैहरू/ जरल मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अर्न्तगत वन अधिकारो के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारो के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

:-

सही दावो का ब्यौरा:

कम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
-----	-----	-----	-----

तदानुसार यह मुहाल सभा इस दावें/इन दावों को पारित करने हेतु महाल सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

कम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम

तदानुसार मुहाल सभा इस दावें/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

DPF गैहरू/ जरल मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

स्थान :- जरल

दिनांक :- 20-06-2014

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल वन अधिकार समिति
त० सुन्दर नगर जिला मण्डी (हि० प्र०)
ग्राम पंचायत ग्रामवासी/ग्रामम वासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावों के लिए आवेदन किया है। रोजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006

(24)

वन अधिकार समिति :-DPF गैहरू/ जरल
 मुहाल सभा:-DPF गैहरू/ जरल
 ग्राम पंचायत:-जरल
 मुहाल सभा सदस्य संख्या:-418
 सभा मे उपस्थित सदस्य संख्या:-210

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक :- 25-09-2014

प्रस्ताव संख्या:- 01

वन अधिकार समिति मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल की बैठक आज दिनांक 25-09-2014 को 11:00 बजे स्थान DPF गैहरू/ जरल श्री बोध राज की अध्यक्षता में की गई जिसमें DPF गैहरू/ जरल मुहाल के अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत वन अधिकारो के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारो के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न प्रकार से कार्यवाही की गई:-

कुल प्राप्त आवेदन:-

सही दावो का ब्यौरा:

कम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
-----	-----	-----	-----

तदनुसार यह मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को पारित करते हुये इसे उप-खण्ड की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

कम संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
-----	-----

तदनुसार मुहाल सभा इस दावों/इन दावों को निरस्त करती है।

इस मुहाल सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार DPF गैहरू/ जरल मुहाल/गांव में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष

दिनांक:- 25-09-2014
 स्थान :- जरल
 अध्यक्ष
 वन अधिकार समिति
 मुहाल गैहरू/ जरल
 ग्राम पंचायत जरल
 तहसील सुन्दरनगर मंडी (180 प्र०)

सचिव

ग्राम पंचायत जरल
 विकास अधिकारी सुन्दरनगर
 तहसील सुन्दरनगर मंडी

Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HPPWD, Sundernagar

Divisional Forest Officer
 Suket Forest Division
 Sundernagar

सार्वजनिक सूचना

वन अधिकार समिति :-DPF गैहरू/ जरल
मुहाल सभा:-DPF गैहरू/ जरल
ग्राम पंचायत:- जरल

दिनांक:-10-09-2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जरल के अन्तर्गत मुहाल DPF गैहरू/ जरल में वन अधिकार समिति के द्वारा लोक निर्माण विभाग को कांगरी से जेघली बाया जरल तक सड़क निर्माण हेतु मुहाल सभा की जा रही है।

अतः मुहाल DPF गैहरू/ जरल के अन्तर्गत वन अधिकार से सम्बन्धित कोई व्यक्ति दावा या आक्षेप करना चाहता है तो नोटिस जारी करने की दिनांक से 90 दिनों के भीतर पंचायत सचिव के पास प्रस्तुत करें।

दिनांक:- 10-09-2019
स्थान :- जरल

अध्यक्ष
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल सभा गैहरू/ जरल
ग्राम पंचायत जरल
तहसील सुन्दरनगर जिला मंडी (हि 0 प्र 0)

सचिव
ग्राम पंचायत जरल
विकास खण्ड सुन्दरनगर
सुन्दरनगर, जि. सुन्दरनगर (हि. प्र.)
तहसील सुन्दरनगर जिला मंडी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

अनुसूचित जन जाति व अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006

मुहाल सभा :- DPF गैहरू/ जरल
विकास खण्ड सुन्दरनगर जिला मंडी (हि० प्र०)

दिनांक:- 14-03-2020

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या:-01
गणपूर्ति :- 261/491

विषय:- कांगरी से जेघली बाया जरल तक सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि हस्तांतरित हेतु:-

DPF गैहरू/ जरल मुहाल वन क्षेत्र मे प्रस्तावित 20-12-05 बीघा वन

भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमती प्रदान करने हेतु। मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल की बैठक आज दिनांक 14-03-2020 को 11:00 बजे स्थान DPF गैहरू/ जरल में की गई जिसमें लोक निर्माण विभाग को सड़क के निर्माण हेतु DPF गैहरू/ जरल मुहाल वन क्षेत्र में प्रस्तावित 20-12-05 बीघा वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमती प्रदान करने पर चर्चा की गई। सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत: वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 20-12-05 बीघा वन भूमि के सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल की सहमती दी जाती है।

अध्यक्ष

दिनांक:-14-03-2020
स्थान :- जरल

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल DPF गैहरू/ जरल
ग्राम प्रचारक जरल
सुन्दर नगर जिला मंडी (हि० प्र०)

सचिव

ग्राम प्रचारक जरल
विकास खण्ड सुन्दरनगर
तहसील सुन्दरनगर जिला मंडी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

नकल प्रस्ताव एफ आर ए कमेटी

२७

सदस्यों की संख्या:- 261/491

प्रस्ताव संख्या :-01

वैषय:- कांगरी से जेघली बाया जरल तक सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि हस्तांतरित हेतु:-

आज दिनांक **14-03-2020** को ग्राम / मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल की बैठक श्री बोध राज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में यहां पर रहने वाले OTFD's और OTST's परिवारों को मूलभूत सड़क निर्माण सुविधा प्रदान करने हेतु चर्चा की गयी। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई और पाया गया कि गाँव DPF गैहरू/ जरल में रहने वाले OTFD's और OTST's परिवारों तथा अन्य परिवारों को सड़क निर्माण सुविधा से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। इस सड़क के निर्माण से यहां पर रहने वाले OTFD's और OTST's परिवारों को और अन्य ग्रामवासियों को सड़क निर्माण से बहुत सुविधा होगी जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, फसल को लाना और ले जाना इत्यादि। इस गांव में अन्य भूमि न होने के कारण ग्राम सभा सर्व सम्मति से वन भूमि खसरा न० 18/1, 18/2, 18/3, 212/1, 496/1, 496/2, 496/3, 328/1, 309/1 मुहाल DPF गैहरू/ जरल में 20-12-05 बीघा भूमि को सड़क निर्माण हेतु अनुमोदित करती है, इस वन भूमि पर बनने से यहां पर रहने वाले OTFD's और OTST's परिवारों के अधिकारों का हनन नहीं होता है।

अतः ग्राम / मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल तहसील सुन्दरनगर सर्वसम्मति से प्रस्तावित वन भूमि खसरा न०/ टुकड़ा न० 18/1, 18/2, 18/3, 212/1, 496/1, 496/2, 496/3, 328/1, 309/1 मुहाल DPF गैहरू/ जरल जिसका क्षेत्रफल 20-12-05 बीघा, गांव DPF गैहरू/ जरल तहसील सुन्दरनगर उपरोक्त सड़क निर्माण हेतु सड़क निर्माण विभाग को प्रस्तावित सड़क निर्माण के उपयोग के लिए अनुमोदित करती है।

अध्यक्ष प्रधान/

अध्यक्ष
वन अधिकार संचालिका
महाल DPF गैहरू/ जरल
मुहाल DPF गैहरू/ जरल
ग्राम प्रस्तावित DPF गैहरू/ जरल प्र०
तहसील सुन्दरनगर जिला कच्छ जिल्हा प्र०

सचिव

ग्राम प्रस्तावित जरल
विभाग सड़क निर्माण सुन्दरनगर
तहसील सुन्दरनगर जिला कच्छ जिल्हा प्र०

**Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar**

**Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जरल ने मुहाल DPF गैहरू/ जरल वन अधिकार समिति के द्वारा लोक निर्माण विभाग को सड़क के निर्माण हेतु मुहाल सभा की जिसमें मुहाल के कुल मतदाताओं का 50% भाग से अधिक मतदाता उपस्थित हुए।

वन अधिकार समिति के द्वारा लोक निर्माण विभाग को कांगरी से जेघली बाया जरल तक सड़क के निर्माण हेतु मुहाल सभा के उपरांत इसकी सूचना जगह -जगह ग्राम पंचायत जरल के मुहाल DPF गैहरू/ जरल में चस्पान कर दी थी। 90 दिनों तक किसी प्रकार का आक्षेप/आपत्ति दर्ज नहीं हुई। वन अधिकार समिति के मुहाल सभा के 90 दिनों के उपरांत समिति की बैठक की गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि मुहाल DPF गैहरू/ जरल जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ। वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव की प्रतिलिपि ग्राम/ मुहाल सभा DPF गैहरू/ जरल हेतु प्रेषित कर दी गई।

अध्यक्ष/ प्रधान
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल DPF गैहरू/ जरल (प्र. 0)
ग्राम पंचायत जरल

सचिव
ग्राम पंचायत जरल
विकास खण्ड सुन्दरनगर
तहसील सुन्दरनगर जिला भंडी

Executive Engineer
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

No Objection Certificate (Forest Right Committee)

वन अधिकारी समिति मुहाल DPF गैहरू/ जरल ग्राम पंचायत जरल तहसील सुन्दरनगर सर्वसम्मति से पारित करती है कि मुहाल DPF गैहरू/ जरल ग्राम पंचायत जरल तहसील सुन्दरनगर में प्रस्तावित कांगरी से जेघलो बाया जरल तक सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि खसरा नंबर 18/1, 18/2, 18/3, 212/1, 496/1, 496/2, 496/3, 328/1, 309/1 मुहाल DPF गैहरू/ जरल जिसका क्षेत्रफल 20-12-05 बीघा में प्रस्तावित सड़क बनने से समिति को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमांक	नाम	पितापति का नाम/	पद	वर्ग
1	बोध राज	दिला राम	अध्यक्ष	सामान्य
2	सुभाष चन्द	धनी राम	सचिव	
3	जय राम	रिगलू राम	सदस्य	अनु० जाति
4	कांता देवी	पणि राम	सदस्य	अनु० जाति
5	सुख राम	गुलाबा राम	सदस्य	अनु० जाति
6	प्रेम लता	प्रेम लाल	सदस्य	सामान्य
7	रूप चन्द	धनी राम	सदस्य	अनु० जाति
8	धनी राम	हरि राम	सदस्य	सामान्य
9	शकुंतला	रतन लाल	सदस्य	अनु० जाति
10	सवित्री	डिमेश्वर दत्त	सदस्य	सामान्य
11	रुको देवी	कृष्ण लाल	सदस्य	सामान्य
12	रूप सिंह	धर्म दास	सदस्य	सामान्य


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

प्रधान/अध्यक्ष
अध्यक्ष

वन अधिकारी समिति DPF गैहरू/ जरल
मुहाल पंचायत जरल
तहसील सुन्दर नगर जिला मण्डी (हि० प्र०)

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

जाण फिका 20-6-14 को मुहाले जनरल के कार्ड 1 सी उप बाण लक
 से बढल वर्ष लपल नगशा बाण बाण की अधिकाता में दुई ।
 जिसके उपरान्त 11/8/18 साय वही व निगमलियत साधनाई डाल
 21/1/18

में लाई गई ।

1. एरि वन अधिकार लिमिती के गठन बारे ।

क्र.सं.	नाम पिता / पति का नाम	जाती	हस्ताक्षर
			मेहर चंद
1)	मेहरचंद के बालिदा	N.S.C.	
2)	जापराम के रिगलु राम	S.C.	Jai Ram
3)	पुनमराचंद के प प	S.C.	Pankaj
4)	डी मेरवर दत्त के जापराम	N.S.C.	डी मेरवर दत्त
5)	सीताराम के देतराम	S.C.	सीताराम
6)	राम दितु के पुर्ण राम	S.C.	राम दितु
7)	चरमदास के कानाकर	S.C.	चरमदास
8)	विमला देवी के प्रेमलाल	S.C.	
9)	निर्मला देवी के बाबुराम	S.C.	
10)	चिन्ता देवी के सन्तराम	S.C.	चिन्ता देवी
11)	शोशनी देवी के प्रकाश	S.C.	
12)	शरीता देवी के जयसिंह	S.C.	शरीता देवी
13)	अरधारी देवी के मोहन सिंह	S.C.	अरधारी देवी
14)	जयप्रिय के जालभराम	N.S.C.	जय राम
15)	देवचंद के खुबराग	S.C.	Jai Chandra
16)	कानचंद के राम दितु	S.C.	Kanachand
17)	प्रीति देवी के बाबुराम	S.C.	प्रीति देवी
18)	खुबराग के परभाराम	S.C.	खुबराग
19)	मोहन राम के मसवीराम	S.C.	मोहन राम
20)	लता देवी के हीरा सिंह	N.S.C.	लता देवी
21)	मोना देवी के तुलसी राम	N.S.C.	मोना देवी
22)	प्रेम लाल के मोहन सिंह	N.S.C.	Premalal

Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HPPWD, Sundernagar

23

2

23	रिगलूराम	%	अलदी राम	S.C	
24	परसराम	%	भगलूराम	S. C	
25	सखी मी देवी	1/2	साजुराम	N.S.C	
26	लता देवी	1/2	गोविंदराम	S.C	
27	परसराम	%	भगलूराम	N.S.C.	परसराम
28	भगलूराम	%	चंदा	S.C	
29	चंदा देवी	1/2	रघोमलाल	S. C	चंदा देवी
30	लीला राम	%	मेहलूराम	S. C.	
31	रामदेवी	1/2	जोगाराम		
32	गणेश देवी	1/2	जगद्वारा		
33	शैर सिंह	%	शाजुराम	N.S.C.	शैर सिंह
34	रघोम देवी	1/2	परभाराम	S.C.	
35	शुक्रराम				शुक्रराम

36	Sunilk Kumari	S/O	SUNIL KUMAR	S.C	Sunilk Kumari
37	रतन लाल	S/O	शिरजा रश्मि	S.C	रतन लाल
38	देसराज	S/O	रश्मि लाल	S.C	Deesh Raj
39	सकुन्तला देवी		रतन लाल	S.C	सकुन्तला देवी
40	रुप सिंग	S/O	रश्मि लाल	S.C	Rup Singh
41	सपना देवी	1/2	देसराज	S.C	Sapna Devi
42	जीतराम	1/2	गोद राम	S.C	जीतराम
43	लीला देवी	S/O	जीतराम	S.C	लीला देवी
44	मीना देवी	S/O	मीतराम	S.C	मीना देवी
45	माधु राम	S/O	गुड राम	S.C	माधु राम
46	सरीता देवी	S/O	माधु राम	S.C	सरीता देवी
47	वाणू राम	1/2	लट कुमरु राम		वाणू राम
48	सकुन्तला देवी		वाणू राम		सकुन्तला देवी
49	हंसराज		हुमायू राम		हंसराज
50	रश्मा देवी		हंसराज		रश्मा देवी

51	धनी देवी				धनी देवी
52	हिमा देवी	B.C.	गुरु राम		हिमा देवी
53	गुरु राम	S/O	काशी देवी		गुरु राम
54	काशी देवी	S/O	देवराज		काशी देवी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
H.P.W.D. Sundernagar



55	रामकृ देवी - B-1.	काशी राम	रामकृ देवी
56	दुनी चन्द - S-1.	काशी राम	इनी चन्द
57	लजप देवी - B-1.	दुनी चन्द	लजप देवी
58	दुमरा राम - S-1.	काशी राम	दुमरा राम
59	हलया देवी - B-1.	दुमरा राम	हलया देवी
60	व्यम पाल - S.	नन्द लाल	व्यम पाल
61	अंजना देवी - S.	व्यम पाल	अंजना देवी
62	नन्द लाल - S.	पानत राम	नन्द लाल
63	सरशिता देवी - S.	नन्द लाल	
64	कृष्ण लाल - S/O	दालत राम	कृष्ण लाल
65	सुन्दर देवी - W/O	कृष्ण लाल	
66	मान सिंह - S/O	कृष्ण लाल	Man Singh
67	हंसा देवी - W/O	मान सिंह	हंसा देवी

68	Karam Singh S/O Sh. Chamaru Ram = Karam Singh	
69	Chandravati w/o sh. Karam Singh ✓	
70	Netar Singh S/O Sh. Karam Singh = Netar Singh	
71	Champa Devi w/o Netar Singh = Champa Devi	
72	Kashmir Singh S/O Sh. Karam Singh = Kashmir Singh	
73	Manohar Lal S/O Sh. Chamaru Ram = मनोहर लाल	
74	Sarojana Devi w/o Sh. Manohar Lal = सरोजना देवी	
75	Hem Raj S/O Sh. Chamaru Ram = Hem Raj	
76	SomaBanti w/o Sh. Hem Raj = SomaBanti	
77	Chamaru Ram S/O Sh. Durga Ram	
78	Chamaru Devi w/o Sh. Chamaru Ram	
79		
80	तिलक राय - S/O - कृष्णशरण	तिलक राय
81	कमला देवी - W/O	तिलक राय
82	धर्मपाल	तिलक राय
83	अनु देवी	व्यम पाल
84	जगदराम	तिलक राय
85	लखराम	वृज लाल
86	गीता देवी	लखराम

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

67/1
 (43)

जोगल राम
 पुष्प राम

जयलाल
 जयलाल
 जयलाल
 जयलाल
 जयलाल

87	पुष्प राम जमना देवी	पुष्प राम	
88	हमराज		
89	हमराज कुमर		
90		चमरू राम	
91	हेतु राम जमना देवी	हेतु राम	
92		वरीजलाल	
93	शनीर देवी		शैम लाल
94	शैरुन लाल	चमरू राम	
95	शोमी देवी	शैरुन लाल	
96	जयचन्द	चमरू राम	जय लाल
97	नरवदा देवी	जयचन्द	नरवदा देवी
98	पवन राम	जयचन्द	पवना देवी
99	झीपला देवी	पवन राम	झीपला देवी
100	डांगू राम	देबनू राम	डांगू राम
101	शैरुन लाल	डांगू राम	शैम लाल
102	जवाश बती	शैरुन लाल	अबरावती
103	हरिमम	देबनू राम	
104	जमना देवी	हरिमन	
105	धनी राम	हरिमन	धनी राम
106	धनी राम	धरू राम	
107	कोशी देवी	धनी राम	
108	कामी रास	सिबु	
109	कुली राज	कामी राम	कामी राम
110	केश रास	कुली ला राम	लोक राज
111	क्रीपकास	केश रास	केशु लाल
112	कथला देवी	क्रीपकास	क्रीपकास
113	क्रीपकास	कामी रास	
114	गुण लाल	क्रीपकास	गुण लाल
115	गोपीद रास	गोपीद	गोपीद रास
116	रंजना देवी	गोपीद	
117	लाला देवी	गोपीद	लाला देवी
118	जयचन्द	गोपीद	जयचन्द

Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HPPWD, Sundernagar

20	जयजाली धर्म राम	जयचन्द जयजाली
21	कला देवी	जयचन्द बीमा शिवा
22	दिला राम	गोक राम
23	रघुवी देवी	रंग राम
24	जालक राम	दिला राम
25	प्रसा देवी	दिला राम बालक राम
26	देव चन्द	प्रम लाल
27	सुनीता देवी	प्रम लाल देव चन्द
28	शालु राम	देव चन्द सुनीता देवी
29	सो जना राम	लक्ष्मी राम
30	सखी सखी देवी	लक्ष्मी राम
31	काता देवी	जगदल राम
32	हारपत राम	डा. पू. राम काता दे
33	संपक देवी	मंग राम नरपल राम
34	डिसलु राम	नरपल राम
35	चपा देवी	नरपल राम डिसलु राम
36	रतन लाल	डिसलु राम चपा देवी
37	श्रीमती देवी	रामदयाल शतलाल
38	हुदर जीता	रतन लाल श्रीमती देवी
39	चीता देवी	रामदयाल हुदर जीता
40	पना लाल	हुदर जीता चीता देवी
41	समा देवी	रामदयाल पना लाल
42	कला देवी	पना लाल समा देवी
43	जकीर राम	रामदयाल
44	प्रसा देवी	गंगा राम जगदीश राम
45	डिबू राम	जकीर राम
46	देव चन्द	जकीर राम गंगु राम
47	धर्म देवी	गंगा राम देव चन्द
48	रूप चन्द	देव चन्द
49	नागरा राम	धर्म राम रूप चन्द
50	सखी देवी	धर्म राम मनशा राम
		रूप चन्द मशाली देवी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

S.C.
S.C.
S.C.

TM
M

6

151	नमदे देवी =	चमार राम	
152	चमार राम =	धुगलक	
153	मलावार राम =	देवकु राम	
154	कुवजा देवी =	मलावार राम	
155	दिना राम =	दिना राम	दिना राम
156	देवती देवी	मनुसाराम	देवती देवी
157	चिन्त राम	हरामन	
158	कान्हे देवी SC	जापराम	का-पदेव
159	जाय सिंह	रिगनुराम	जाय सिंह
160	साहन सिंह	राम सिंह	साहन सिंह
161	मोगि चन्द	रिगनुराम	मोगि चन्द
162	सीताराम	हरीराम	सीताराम
163	चन राम	कालाराम	चन राम
164	नरपतराम	फेमाराम	नरपतराम
165	गोविन्दराम	कान्हे देवी	गोविन्दराम
166	राजकमार	पुत्र लाल	राजकमार
167	चन राम	डी चुराम	चन राम
168	राज-देवकमार	वाधु राम	राज-देवकमार
169	सीता देवी	जाविनराम	सीता देवी
170	वलीराम	फोट राम	
171	देवराज	जपराम	देवराज
172	शुक्री	रामदीर	शुक्री
173	राम चन्द	रामदीर	राम चन्द
174	डामो देवी	वाधु राम	डामो देवी
175	मनशीराम	ग/व ग/व	मनशीराम
176	गारुड राम	गोगल	गारुड राम
177	सोनी देवी	साहन सिंह	सोनी देवी
178	सीताराम	हरी कृष्ण	सीताराम
179	सोना देवी	वीर सिंह	सोना देवी
180	चनीराम	वाधु	चनीराम
181	पिपला	जशीराम	पिपला
182	पुनी देवी	पुनी देवी	पुनी देवी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

184	निर्मला	५०	शंकर	निर्मला देवी
185	निधन	४०	शंकर	M Sharmad
186	इडा	५०	हरकृष्ण कुमार	Indira
187	मोनामा	५०	मीन सिंह	मीनमती
188	विष्णु कुमार	४०	शोभा लाल	शोभा
189	लालिता	५०	शिवकुमार	शिवकुमार देवी
190	मीन सिंह	४०	जय चंद	Sheema Devi
191	सुरवी	४०	शोभा देवी	शोभा देवी
192	काशीबा	५०	शंकर प्रसाद	काशीबा देवी
193	सुप सिंह	४०	दिली वरम	कपिले
194	दिली वरम	४०	रत्न वरम	दिली देवी
195	मंगल वरम	४०	पित वरम	मंगल वरम
196	पित वरम	४०	इडा	पित वरम
197	दुर्गा	४०	पीर वरम	दुर्गा
198	वर्मा	५०	हरकृष्ण	Rawna
199	सुदी	५०	हर	सुदी देवी
200	रानी	५०	शंकर	रानी देवी
201	सुवर्ण	४०	मंगल	सुवर्ण
202	मलमल	४०	देवकु	मलमल
203	सुकुमार	४०	सुखल	सुकुमार
204	निंदुवाला	४०	निंदु वरम	निंदुवाला
205	दीपक कुमार	४०	सुवर्ण वरम	Delle
206	साधु	४०	जयल	साधु
207	लीना	५०	शंकर सिंह	लीना देवी
208	गुरुपत वरम	४०	परमा वरम	गुरुपत देवी
209	दीपक	४०	मंगल वरम	दीपक देवी
210	सुमित्रा	५०	शिवशंकर देवी	सुमित्रा देवी
211	दुर्गावती	५०	शंकर लाल	दुर्गावती देवी

सुखल वरम वर अधिकार समिति के गठन के विषय -

निर्मल देवी वर अधिकार समिति के गठन के विषय -

Executive Engineer,
Sundarnagar Division
HPPWD, Sundarnagar

सर्वसमाति ले किया।

1. कोहराज शं. रिला वाम	जरल	अध्यक्ष कोहरा
2. लुआध चन पं. लहापक जवल	- वं	सायब
3. जयवाम शं. रिगलू राम	जरल	सहाय जयवाम
4. कांसा देवी का मणी राम	- वं	- वं
5. सुखवाम शं. सुलावा राम	- वं	- वं
6. प्रेमलता का प्रेम लाल	- वं	- वं
7. रूप चर शं. धनी वाम	- वं	- वं
8. धनी राम शं. धी नन	- वं	- वं
9. सुकुमल का सुकुमल लाल	- वं	- वं
10. सावित्री का सावित्री देवी	- वं	- वं
11. सुको देवी का सुको देवी	- वं	- वं
12. रूप लाल शं. धनी वाम	- वं	- वं

सर्वसमाति ले कोहराज का अध्यक्ष व लुआध चन को जयबुद्धी तथा प्रस्ताव सर्वसमाति द्वारा पारित किया।

पूर्ववर्तनं. 2 वाक्य मुहाल जरल वनाधिकारा लखीयत पावे प्रस्तुत करन हेतु नोटिस बाट :-

किंकि द्वारा सर्वसमाति ले पारि किया कि वनाधिकार समाति जरल के रहने वाले जमी राग मुहाल, लहाप का कल नोटिस के द्वारा घोषित किया जाता है कि राजस्व राग जरल के लखन्य के सर्वसाधारण ले अगुं जनजाति व कय परम्परागत वग गियाली (वनाधिकार) की मायता अधिकांश 2006 के लहत पावे व आकोप लागे जाते है। जेकि 90 दिन के भीतर - 2 वनाधिकार समाति जरल का प्रस्तुत किये जा सकत है। 90 दिन के बाद कोइ भी पावे व आकोप समाति मान्य नही करेगी।

1. पावे उपलगत कयवा लखे / सांखुष्टिक तौर पर दिपे का जगत है।

2. पावे उपलगत अधीनपत्र की द्वारा 30 दिनों के भीतर के लिए दिपे का ठाना FRL के पास ठाना जाय।

Executive Engineer
Sundarnagar Division
UPPWD, Sundarnagar

वन अधिकार के अन्तर्गत आदिवासी के कार्य निम्न में दिए गये जस (क) को अन्तर्गत दिए जाते है।

1) वन अधिकार के अन्तर्गत आदिवासी के कार्य निम्न में दिए गये जस (ख) को अन्तर्गत दिए जाते है।

2) जस (क) और (ख) में उपरोक्त अधिनियम अन्तर्गत निम्न की वही धाराओं का अध्ययन करने के लिए अधिनियम निम्न की धाराओं वन अधिकार अधिनियम के अधिनियम के लिए उपलब्ध है। निम्न अधिनियम अधिनियम की कार्य दिवस पर 11-11-2017 से 11-11-2017 तक कार्य दिवस है।

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD. Sundernagar

[Handwritten signature]
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
मुहाल जरल ग्राम पंचायत जरल
ता. सुन्दर नगर जिला मण्डी (हि. प्र.)

अध्यक्ष *[Handwritten signature]*
वन अधिकार समिति
मुहाल जरल ग्राम पंचायत जरल
ता. सुन्दर नगर जिला मण्डी (हि. प्र.)

सामाजिक मंडल

39

आज दिनांक 20-11-14 को मुद्दाल जमा जरल की पंजीयन समिति की बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रधान श्री बंशु कुमार द्वारा की गई। उपस्थित 12/12 सदस्य रहे। व निम्नलिखित कार्यवाही आज में लगे गई।

क्र. सं.	नाम	पितापति	जाय	पुत्र	हस्ताक्षर
1.	बोधराज	श्री. पिला राम	जरल	अध्यक्ष	
2.	सुभाष चन्द्र	श्री. लक्ष्मण जवल	जरल	सचिव	
3.	रुको देवी	श्री. कुंठालाल	—do—	सदस्य	
4.	रूप चन्द्र	श्री. धनी राम	—do—	—do—	श्री. अजय
5.	प्रेमलता	श्री. प्रेमलाल	—do—	—do—	श्री. लाल
6.	जय राम	श्री. रिंगलु राम	—do—	—do—	Jair
7.	सुरेश चन्द्र	श्री. गुलाब राम	—do—	—do—	सुरेश चन्द्र
8.	सवित्री	श्री. डिमरवर	—do—	—do—	सवित्री देवी
9.	कल्प सिंह	श्री. धनपाल	—do—	—do—	Kalp Singh
10.	कान्ता देवी	श्री. मन्नी राम	—do—	—do—	कान्ता देवी
11.	शकुन्ता देवी	श्री. रतन लाल	—do—	—do—	शकुन्ता देवी
12.	धनी राम	श्री. धीरज	—do—	—do—	Dhani Ram

सहाय्य संख्या 01

यह मंडल में उपस्थित सभी सदस्यों ने पारित किया कि मुद्दाल जमा जरल की वन अधिकार कार्यवाही के रुकने को दिनांक 10.11.14 को रुकने दे। तथा वन अधिकार कार्यवाही जरल के पास 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रोड की वन अधिकार समिति के व्यक्तिगत/सांख्यिक पाव सन्तुष्ट/प्राप्त नहीं हुई है। अतः हात सहाय्य मुद्दाल नसी की ठेका में प्रेषित है।

(Signature)
 ग्राम पंचायत जरल,
 सुन्दर नगर, जि० मण्ड० (हि० प्र०)

Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HPPWD, Sundernagar

अध्यक्ष *(Signature)*
 वन अधिकार समिति
 मुद्दाल जरल ग्राम पंचायत जरल
 सुन्दर नगर जिला मण्डली (हि० प्र०)

सामाजिक वंश

40

आज दिनांक 20-11-14 को मुखल जमा जरल की वन अधिकार समिति की बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता प्रधान श्री अश्वराज की द्वारा की गई। उपस्थित 12/12 सदस्य रही। व निम्नलिखित कार्यवाही आज में लाई गई।

क्र०	नाम	पितापति	ग्राम	पुद्	हस्ताक्षर
1.	बोहराज	श्री० पिला राम	जरल	अध्यक्ष	
2.	सुभाष चन्	श्री० लक्ष्मण जवल	जरल	सचिव	
3.	सुकोदेवी	श्री० कुणालाल	—do—	सदस्य	
4.	रमचन्	श्री० धर्गेराम	—do—	—do—	सुभाष चन्
5.	प्रेमलता	श्री० प्रेमलाल	—do—	—do—	प्रेम लता
6.	जय राम	श्री० विंगलु राम	—do—	—do—	जय राम
7.	सुरेश चन्	श्री० गुरुलाल राम	—do—	—do—	सुरेश चन्
8.	सावित्री	श्री० डिमरवर	—do—	—do—	सावित्री देवी
9.	कपिल	श्री० धर्मपाल	—do—	—do—	कपिल
10.	कान्ता देवी	श्री० मणीराम	—do—	—do—	कान्ता देवी
11.	शकुन्तला	श्री० राज लाल	—do—	—do—	शकुन्तला
12.	धर्गेराम	श्री० धर्म	—do—	—do—	Dharmi

सत्यापन संख्या 01

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने पारित किया कि मुखल जमा जरल की वन अधिकार समिति के बैठक को दिनांक 20-11-14 को बुलाया गया था। तथा वन अधिकार समिति जरल के पास 20 दिनों की अवधि के भीतर कोई भी वन अधिकार आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सति सत्यापन मुखल जमा जरल को प्रेषित है।

[Handwritten Signature]

मुखल पंचायत जरल,
सुंदरनगर, जि० म० सं० (दि० प्र०)

**Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar**

अध्यक्ष *[Signature]*
वन अधिकार समिति
मुखल जरल ग्राम पंचायत जरल
सुंदर नगर जिला मण्डी (दि० प्र०)

सर्वसमाप्ति ले लिया।

1. केशवराज शं. रिलावाण	जरल	अध्यक्ष केशवराज
2. लुणाचन पं. लहापणु जरल	- वं	सायब ...
3. जयवंत शं. रिगलू राम	जरल	सहाय जयवंत
4. कामलादेवी का. मणीराम	- वं कांता - वं	- वं
5. सुखवंत शं. मुलावा शं.	- वं	- वं सुखवंत
6. प्रेमलता का. प्रेमलाल	- वं	- वं प्रेमलता
7. रूपचंद्र शं. धनीवंत	- वं	- वं रूपचंद्र
8. धनीवंत शं. धीमंत	- वं	- वं धनी
9. शुक्रवंत का. रतनलाल	- वं शुक्रवंतलाल	- वं
10. लाडिकी का. डिगंबरदत्त	- वं	- वं Savitridevi
11. सुकोदेवी का. सुकोदेवी	- वं	- वं सुकोदेवी
12. रूप सिंह शं. धनराज	- वं	- वं रूप सिंह

सर्वसमाप्ति ले केशवराज का अध्यक्ष व लुणाचन को सायब युवा गणप्रस्ताव सर्वसमाप्ति द्वारा पारित किया।

प्रस्ताव नं. 2 राजेश्वर उदाल जरल वनाधिकारों के संबंध में दावे प्रस्तुत करने हेतु नोटिस आटे :-

जिसके द्वारा सर्वसमाप्ति ले पारित किया कि वनाधिकार सीमांत जरल में रहने वाले जमीन सार उदाल, लहापणु का कल नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि राजेश्वर राज्य जरल के लक्ष्मण के सर्वसाधारण ले अनुसंधान व अन्य परम्परागत वगैरे नियमों (वनाधिकारों की मायना) अधिनियम 2006 के तहत दावे व आक्षेप लागू होते हैं। लेकिन 90 दिन के अंतर-2 वनाधिकार सीमांत जरल का प्रस्तुत किया जा सकता है। 90 दिन के बाद कोई भी दावा व आक्षेप सीमांत राज्य नहीं करेगा।

1. दावे उपरिगत कथना लखे / सांख्यिक तौर पर दिखे जा सकते हैं।

2. दावे उपरिगत अधिनियम की धारा 3(1) के तहत (क) ले (ड.) तक की सीमांतों के लिए दिखे जा सकते हैं इन धारा **Executive Engineer, Sundernagar Division HPPWD, Sundernagar** के पास कर सकते हैं।

3

7

183	गुमला	५०	शंकर	निर्मला देवी
184	गिहन	४०	शंकर	Mohamed
185	हडा	५०	हरण कुमार	Dudra
186	गोरामा	५०	मीन सिंह	मीन देवी
187	विनय कुमार	४०	शंभु लाल	शंभु देवी
188	नाथिन	५०	शंभु राम	शंभु देवी
189	मीन सिंह	४०	जय चंद	शंभु देवी
190	सुरवी	४०	शंभु राम	शंभु देवी
191	कांवाला	५०	जगज्जाल	कांवाला देवी
192	जय सिंह	४०	दिला राम	जय देवी
193	दिला राम	४०	रंग राम	दिला देवी
194	भगत राम	४०	पित राम	भगत देवी
195	पित राम	४०	शंभु	पित देवी
196	दरमदा	४०	पीरु राम	दरमदा देवी
197	रामा	५०	दुल वान	Rama
198	बुद्ध	५०	दुल	बुद्ध देवी
199	खीमी	५०	खीम	खीमी देवी
200	सुखराम	४०	गोपी	सुखराम देवी
201	मलगा	४०	दुल	मलगा देवी
202	सुकर	४०	सुकर	सुकर देवी
203	बुद्धवाला	४०	गोपी राम	बुद्धवाला देवी
204	दीपक कुमार	४०	सुख राम	दीपक देवी
205	साधु	४०	जयल	साधु देवी
206	लीना	५०	शंभु सिंह	लीना देवी
207	परमप राम	४०	परमप राम	परमप देवी
208	दीपक	४०	भगत राम	दीपक देवी
209	सुमिता	५०	सिंह देवी	सुमिता देवी
210	धनदेवी	५०	राम लाल	धनदेवी देवी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

वन अधिकार समिति के गठन के विषय में निर्णयित वन अधिकार समिति का गठन उपरोक्त संख्या द्वारा

1	नमदे देवी	=	चमार शाय	
2	चमार शाय	=	धुगतकेव	
3	मवागार शाय	=	देवगु शाय	
4	कुवजा देवी	=	मवागार शाय	
5	विहा शाय	=	विहा शाय	विहा शाय
6	हावती देवी	=	मनूसार शाय	हावती देवी
57	चिंत शाय	=	हरामन	
58	कांत देवी	=	SC जापराम	कांत देवी
159	जाय सिंह	=	रिगत शाय	जाय सिंह
160	साहंन सिंह	=	राम सिंह	साहंन सिंह
161	भाग चन्द	=	रिगत शाय	भाग चन्द
162	सीताराम	=	दरीराम	सीताराम
163	चन शाय	=	कांत शाय	चन शाय
164	नरपतराम	=	फेजाराम	नरपतराम
165	गोविन्दराम	=	कांत शाय	गोविन्दराम
166	राजकुमार	=	पुत्र लाल	राजकुमार
167	चन शाय	=	डी जुराम	चन शाय
168	राज-देवकुमार	=	वाधु शाय	राज-देवकुमार
169	सीता देवी	=	जाविनराम	सीता देवी
170	वलीराम	=	फातराम	
171	देवराज	=	जय शाय	देवराज
172	शुक्री	=	रामदीर	शुक्री
173	राम चन्द	=	रामदीर	राम चन्द
174	डामो देवी	=	वाधु शाय	
175	कुनशी शाय	=	ग/व शाय	कुनशी शाय
176	गारुड शाय	=	गोपाल	गारुड शाय
177	सीता देवी	=	साहन सिंह	सीता देवी
178	सीता शाय	=	दरी कुंज	सीता शाय
179	सीता देवी	=	बीर शाय	सीता देवी
180	चनी शाय	=	विष्णु	चनी शाय
181	पिपली	=	जशी शाय	पिपली
182	जमी देवी	=	पर	जमी देवी

(3)

- 119 जयजाली
- 20 धर्म राम
- 21 कला देवी
- 22 दिला राम
- 23 रघुवी देवी
- 24 लाल राम
- 25 प्रेम देवी
- 26 देव चन्द
- 27 सुनीता देवी
- 28 शालू राम
- 29 सोहन राम
- 130 सवित्री देवी
- 31 काता देवी
- 132 हारपत राम
- 33 सपत देवी
- 34 डिसणु राम
- 135 चपा देवी
- 136 रतान लाल
- 37 शेरनी देवी
- 38 हुदर जीता
- 39 चिता देवी
- 40 पना लाल
- 141 रमा देवी
- 142 कला देवी
- 143 जाकीर राम
- 144 प्रेम देवी
- 145 डोगू राम
- 146 देव चन्द
- 147 प्रेम देवी
- 148 रूप चन्द
- 149 नानसा राम
- 150 सखती देवी

- जय चन्द
- जय चन्द
- वीसा
- गोक राम
- रत राम
- दिला राम
- दिला राम
- प्रेस लाल
- प्रेस लाल
- देव चन्द
- ताराम राम
- वीलसी राम
- डोणु राम
- डोणु राम
- अंत राम
- नरपल राम
- नरपल राम
- डिसणु राम
- डिसणु राम
- रामदयाल
- अन लाल
- रामदयाल
- हुदर जीता
- रामदयाल
- पना लाल
- पना लाल
- रामदयाल
- गंगा राम
- जाकीर राम
- जाकीर राम
- गंगा राम
- देव चन्द
- धर्म राम
- धर्म राम
- रूप चन्द
- मनसा राम
- मशाली देवी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

S.C.
S.C.
S.C.

मालक

चन्द्र

मालक

मालक

मालक

मालक

पुरू राम	जीवाल राम	परवर्तम
जमना देवी	पुरू राम	चम्पारिवा
हम्मराज		हम्मराज
हम्मराज कुमार		हरमेश कुमार
हेतु राम	चमरु राम	
जमना देवी	हेतु राम	
सनीर देवी	वरिडा लाल	
शैसन लाल	चमरु राम	शैसन लाल
शोमी देवी	शैसन लाल	
जयचन्द	चमरु राम	जयचन्द
नरवादा देवी	जयचन्द	नरवादा देवी
पवन राम	जयचन्द	पवन राम
झीपला देवी	पवन राम	झीपला देवी
डागू राम	देबनू राम	डागू राम
शैसन लाल	डागू राम	शैसन लाल
जवाश बती	शैसन लाल	जवाश बती
हरिमम	देबनू राम	
जमना देवी	हरिमन	
धनी राम	हरिमन	धनी राम
धनी राम	धनी राम	
कोश देवी	धनी राम	
कासी राम	सिबु	कासी राम
शुली राज	कासी राम	लोकराज
कैसव राम	ठोला राम	कैसव राम
श्रीपकास	कैसव राम	श्रीपकास
कायला देवी	श्रीपकास	
शैसा वदली	कासी राम	
नन्द लाल	सिबु	नन्द लाल
गोपीद राम	मेरु मेरु	गोपीद राम
रुलसा देवी	गोपीद	
लाला देवी	नन्द लाल	लाला देवी
जयचन्द	लाधसणी राम	जयचन्द

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

47

55	रामदेवी	B-1	कोसी राम	इनी
56	दुनी चन्द	S-1	कोसी राम	लजपत
57	लजपत देवी	B-1	दुनी चन्द	दुमरा
58	दुमरा राम	S-1	कोसी राम	हेल्प देवी
59	हेल्प देवी	B-1	दुमरा राम	धर्म पाल
60	वज्र पाल	S	मन्द लाल	अंजना देवी
61	अंजना देवी	S	धर्म पाल	म-6 (म/म)
62	मन्द लाल	S	पालत राम	
63	सरशिता देवी	S	मन्द लाल	कृष्ण लाल
64	कृष्ण लाल	शो	दालत राम	
65	सुन्दर देवी	W/o	कृष्ण लाल	
66	मान सिंह	शो	कृष्ण लाल	Man Singh
67	हरसा देवी	W/o	मान सिंह	हरसा देवी
68	Karam Singh	Sho Sh. Chamaru Ram	=	Karam Singh
69	Chandrabati	W/o Sh. Karam Singh	=	
70	Netar Singh	Sho Sh. Karam Singh	=	Netar Singh
71	Champa Devi	W/o Netar Singh	=	Champa Devi
72	Kashmir Singh	Sho Sh. Karam Singh	=	Kashmir Singh
73	Manohar Lal	Sho Sh. Chamaru Ram	=	मनोहर लाल
74	Sarojana Devi	W/o Sh. Manohar Lal	=	सरोजना देवी
75	Hem Raj	Sho Sh. Chamaru Ram	=	Hem Raj
76	Soma Banti	W/o Sh. Hem Raj	=	Soma Banti
77	Chamaru Ram	Sho Sh. Durga Ram	=	
78	Chamaru Devi	W/o Sh. Chamaru Ram	=	
79				
80	तिलक राय	S-3	दुवा शरण	तिलक राय
81	ममला देवी	W/o	तिलक राय	
82	धर्म पाल		तिलक राय	धर्म पाल
83	अनु देवी		धर्म पाल	अनु देवी
84	जगदास		तिलक राय	जगदास
85	लखराम		वृज लाल	लख राम
86	गीता देवी		लखराम	गीता देवी

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

49

आप दिनांक 20-6-14 को मुहल कबल के वार्ड 1 की उप
 में बैठक का लक्षण तथा काम का की अध्यक्षता में
 जिसमें उपस्थित माझे 20 साथ ही व निम्नलिखित कार्य
 21/4/18

में लाई गई।

1. एरिचन अधिकार सीमा के गठन बारे।

क्र.सं.	नाम पिता / पति का नाम	जाती	हस्ताक्षर
1)	मेहरचन्द शंकरलाल	N.S.C.	मेहरचन्द
2)	जयराज शंकरलाल	S.C.	Jai Raj
3)	पुनराचन्द शंकरलाल	S.C.	Pankaj
4)	डी.मैखर दत्त जयराज	N.S.C.	डी.मैखर दत्त
5)	सीताराम शंकरलाल	S.C.	सीताराम
6)	शंकर दत्त शंकरलाल	S.C.	शंकर दत्त
7)	चरमदास शंकरलाल	S.C.	चरमदास
8)	विमलादेवी शंकरलाल	S.C.	
9)	निर्मलादेवी शंकरलाल	S.C.	
10)	चिन्ता देवी शंकरलाल	S.C.	चिन्ता देवी
11)	शोशनी देवी शंकरलाल	S.C.	
12)	शरीता देवी शंकरलाल	S.C.	शरीता देवी
13)	अश्वरी देवी शंकरलाल	S.C.	अश्वरी देवी
14)	जयशंकर शंकरलाल	N.S.C.	जयशंकर
15)	देवचन्द शंकरलाल	S.C.	Jai Chand
16)	कर्मचन्द शंकरलाल	S.C.	Karmachand
17)	प्रीति देवी शंकरलाल	S.C.	प्रीति देवी
18)	शंकरलाल शंकरलाल	S.C.	शंकरलाल
19)	शंकरलाल शंकरलाल	S.C.	शंकरलाल
20)	लता देवी शंकरलाल	N.S.C.	लता देवी
21)	गंगा देवी शंकरलाल	N.S.C.	गंगा देवी
22)	पद्मा देवी शंकरलाल	N.S.C.	Pandita

Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HPPWD, Sundernagar

आज दिनांक 10-11-2017 को मुहाल जामा जरल/2017 गेटवर्क की FRA बगैर पंचायत को चौकबाराग जी की अनुमति के बिना ही व उपरोक्त 12/12 खदरय रही।

1. सड़क निर्माण कांंगरी से लेहली जामा जरल के निर्माण हेतु।
2. निर्माण पत्र गणदीन लाहल जाला।

क्र.सं.	नाम	कर्मस्थ/पिता का नाम	जिल्ला	व्यक्ति का नाम
1	बाबू राज			Booth Roy
2	रूप चन्द	श्री धनी राम	जरल	रूपचन्द
3	शकुतला देवी	श्री रतन लाल	जरल	शकुतला देवी
4	प्रमलता	श्री प्रमल लाल	जरल	प्रमलता
5	इन्दिरा देवी	श्री कृष्ण लाल	जरल	इन्दिरा देवी
6	सुख राम	श्री सुलावा राम	जरल	सुख राम
7	इन्दिरा देवी	श्री मनी राम	जरल	इन्दिरा देवी
8	सुजय राम	श्री विंगल राम	जरल	सुजय राम
9	सोबिता देवी	श्री प्रमेश्वर	जरल	सोबिता देवी
10	रूप सिद्ध	श्री वसुधास	जरल	Roop Singh
11	धनी राम	श्री हरामन	जरल	Dhani Ram

वेकमे अध्यक्ष गेटवर्क जी ने सुझाव रखा कि उपरोक्त निर्माण कार्य मुहाल जरल/2017 गेटवर्क के मिड्सडक मुख्य सड़क कांगरी से लेहली जामा जरल के निर्माण लीन निर्माण विभाग के अनुमति के बिना ही जिसके उपरोक्त उपरोक्त (पत्र) ने लहली जाला है। इस पर गेटवर्क का म.दावा/आयाप है वा 90 दिनों के भीतर पचापल लखियु कंपनी लहली कर/कल. धनी सुलावा मुहाल जामा जरल/2017 गेटवर्क की सेवा के कामाभी कार्यवाही हेतु लखियु है।

(Signature)
my companion

अध्यक्ष
जन आधिकार समिति
मुहाल जरल ग्राम पंचायत-ज
ता. सुन्धर नगर जिला गण्डी

(Signature)
Booth Roy

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPPWD, Sundernagar

आज दि-म 14-3-2020 को मुदील बरल की काम हुई जिसमें
 निम्नलिखित कारगवाली काम में लाई गई/जिसकी
 बाधका ही मने च-ई पुमान जगुपडे जरल में की
 गई। जिसकी निम्नलिखित कारगवाली काम में लाई गई।
 उपदि-म 261/491

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पता	ए.एन.डी.ए.
1)	श्री. नंदलाल शं. श्री. शिवा राम राम बलाहणी	Nand Lal
2)	श्री. जोगी लाल शिंदे शं. गंगा राम बलाहणी	Jogilal Shinde
3)	श्री. रवतू देवी शं. जयप्रकाश बलाहणी	Ravtu Devi
4)	श्री. निर्मला शैली बा. श्री. शंकर R/o बलाहणी	Nirmala Shaili
5)	श्री. चम्पा शैली बा. श्री. सुभाष राम शं. बलाहणी	Champa Shaili
6)	श्री. हेमराज शं. श्री. चंभाम राम शं. जरल	Hemraj
7)	श्री. चिंतू शैली बा. श्री. मोहन सिंह R/o बलाहणी	Chintu Devi
8)	श्री. कृष्ण लाल शं. श्री. जोगल राम शं. बलाहणी	Krishna Lal
9)	श्री. बाबू राम शं. श्री. सुभाष राम शं. जरल	Babu Ram
10)	श्री. नंदू लाल शं. श्री. रौलत राम शं. बलाहणी (जेल)	Nandu Lal
11)	श्री. लक्ष्मी सिंह शं. श्री. रिगलू राम शं. तरेही (खोला)	Lakshmi Singh
12)	श्री. सुख राम शं. श्री. गुलका राम शं. खोला	Sukh Ram
13)	श्री. गुराव शं. श्री. काशी राम शं. जरल	Gurav Sh
14)	श्री. मंता राम शं. श्री. दिलीप शं. जरल	Manta Ram
15)	श्री. अनाम शं. श्री. चिंतू राम शं. जरल	Anam Sh
16)	श्री. मनीषा कवना कुमारी शं. श्री. अनाम शं. जरल	Manisha Kumari
17)	श्री. लक्ष्मी चं. श्री. चंभाम राम शं. जरल	Lakshmi Ch
18)	श्री. कृष्ण लाल शं. श्री. रौलत राम शं. जरल	Krishna Lal
19)	श्री. दिलीप शं. श्री. दिपक शं. जरल	Dilip Sh
20)	श्री. प्रमोद कुमार शं. श्री. लक्ष्मी शं. वार	Premod Kumar
21)	श्री. रोशन लाल शं. श्री. चंभाम राम शं. जरल	Roshan Lal
22)	श्री. सुरेश कुमार शं. श्री. मोहन सिंह शं. शं. वार	Suresh Kumar
23)	श्री. लक्ष्मी सिंह शं. श्री. चंभाम राम शं. जरल	Lakshmi Singh

24)	श्री सुप्रसिंह डा. श्री दिवा राम रा. बरसादना	Bhush Singh
25)	श्री सिपही राम डा. श्री मसरी राम रा. रव्वा	
26)	श्री टेक चंद्र डा. श्री जगजि सिंह रा. वरपट	टेकचंद्र
27)	श्री जोग लाल डा. श्री गौदन सिंह रा. जमहेल	
28)	श्री लक्ष्मण रा. श्री चंद्र लाल रा. डलाहना	लक्ष्मण
29)	श्री गोम प्रकाश डा. श्री लक्ष्मण राम रा. बरसादना	
30)	श्रीमती सीता देवी डा. श्री टेक चंद्र रा. डलाहना	30
31)	श्री मी चंद्रा देवी डा. श्री लक्ष्मण सिंह रा. जरल	
32)	श्री विमेश्वर दा. श्री जग राम रा. वरपट	विमेश्वरदा
33)	श्री लक्ष्मण डा. श्री बूंगल रा. सिलागांव	लक्ष्मण
34)	श्री कांती राम डा. श्री शिव राम रा. बरसादना	कांतीराम
35)	श्री सुरेश कुमार डा. श्री मंछोराम रा. वरपट	सुरेश कुमार
36)	श्री टेक चंद्र डा. श्री चंद्र लाल रा. डलाहना	टेकचंद्र
37)	श्री पिक राम डा. श्री जोगल राम रा. जरल	पिकराम
38)	श्री जवर्दन डा. श्री बूंगल रा. सिलागांव	38
39)	श्री शिव राम डा. श्री शंकर राम रा. वारडा	
40)	श्रीमती सुंदरी डा. श्री पल्लव राम रा. सिलागांव	
41)	श्रीमती कममणी डा. श्री कृष्ण रा. सिलागांव	
42)	श्री हूशन डा. श्री गोम प्रकाश रा. बरसादना	
43)	श्रीमती वनदेवरी डा. श्री गोम प्रकाश रा. बरसादना	Bhaindevari
44)	श्री पल्लव राम डा. श्री बूंगल रा. सिलागांव	पल्लव
45)	श्रीमती उमावती डा. श्री कांती राम रा. बरसादना	
46)	श्रीमती पिका देवी डा. श्री सुंदरी राम रा. जमहेल	पिका देवी
47)	श्री जगजि सिंह डा. श्री जालम रा. वरपट	47
48)	श्री जीत राम डा. श्री गदू राम रा. जरल	जीतराम
49)	श्री रूप लाल डा. श्री मसरी राम रा. रव्वा	रूप लाल
50)	श्रीमती लला देवी डा. श्री कृष्ण लाल रा. बरसादना	50
51)	श्रीमती भवना देवी डा. श्री विलम उपाध रा. बरसादना	Bhavana
52)	श्रीमती सपना देवी डा. श्री सीता राम रा. जमहेल	सपना देवी

- 56) श्री देवा राव शं. श्री लक्ष्मण राव R/o बिलागाव KHEMSINAH
- 57) श्री देवा राव शं. श्री लक्ष्मण राव R/o बिलागाव Deshpande
- 58) श्री देवा राव शं. श्री रतन लाल R/o बिलागाव Deshpande
- 59) श्रीमती जयदा व। श्री जय चंद्र R/o जयल गणेशदादी
- 60) श्रीमती सन्देश देवी व। श्री लज्जतल R/o जयल
- 61) श्रीमती लक्ष्मी देवी व। श्री जय राव R/o देहरा
- 62) श्रीमती लक्ष्मी देवी व। श्री जय राव R/o देहरा
- 63) श्रीमती सन्देश देवी व। श्री जय राव R/o जयल
- 64) श्रीमती खीरी देवी व। श्री रघुनाथ लाल R/o जयल श्रीमती देवी
- 65) श्रीमती मीरा देवी व। श्री जयदीप R/o जयल मीरा देवी
- 66) श्रीमती मन्दा कुमारी देवी व। श्री जयराव शं. पं. जयल Manju Deshpande
- 67) श्रीमती शकुल राव शं. श्री जयल R/o रवा (रवा हल) जयल
- 68) श्रीमती मोना देवी व। श्री फागू राव R/o बिलागाव श्रीमती देवी
- 69) श्रीमती चम्पा देवी व। श्री जयल R/o बिलागाव चम्पा देवी
- 70) श्रीमती जला देवी व। श्री जयल R/o बिलागाव
- 71) श्रीमती जला देवी व। श्री जयल R/o बिलागाव
- 72) श्रीमती सुमरावती व। श्री जयल लाल R/o जयल जयल
- 73) श्रीमती सुदी देवी व। श्री जयल लाल R/o जयल
- 74) श्रीमती सुदी देवी व। श्री जयल लाल R/o जयल
- 75) श्रीमती विद्या देवी व। श्री जयल लाल R/o जयल (विद्या देवी)
- 76) श्रीमती मन्दा लाल शं. श्री जयल लाल R/o जयल Bindal
- 77) श्रीमती चम्पा देवी व। श्री जयल लाल R/o जयल
- 78) श्रीमती सुमरावती व। श्री जयल लाल R/o जयल Sanjay Deshpande
- 79) श्रीमती सुमरावती व। श्री जयल लाल R/o जयल
- 80) श्रीमती सुमरावती व। श्री जयल लाल R/o जयल
- 81) श्रीमती सुमरावती व। श्री जयल लाल R/o जयल

24

- 82) श्रीमती महेस्वरी देवी वा श्री सुभद्रा राम R/o जयपुर
- 83) श्रीमती लज्जा देवी वा श्री सुनील चंद्र R/o जयपुर
- 84) श्रीमती ममता देवी वा श्री देवराज R/o जयपुर
- 85) श्रीमती रामबा देवी वा श्री नारायण राम R/o जयपुर
- 86) श्रीमती विद्या देवी वा श्री गुरुवर्धन R/o जयपुर
- 87) श्रीमती ज्योति देवी वा श्री चमण राम R/o जयपुर
- 88) श्रीमती रानी देवी वा श्री देवराज R/o जयपुर

Ahij
Lajja
Mamta
95
विद्या देवी

- 89) श्री राजू राम R/o श्री सुकन राम R/o टाटा ॥
- 90) श्री मोहन सिंह R/o श्री शोभा राम R/o धार
- 91) श्री चंद्र मणी R/o श्री नरपत राम R/o बल्लासा
- 92) श्री हनु राम R/o श्री चमण राम R/o जयपुर
- 93) श्री वन राम R/o श्री हरिमन R/o पंजाब
- 94) श्री चमन लाल R/o श्री चमण R/o टाटा ॥
- 95) श्रीमती सुरजदेवी देवी वा श्री मनोहर लाल R/o बल्लासा
- 96) श्रीमती स्वामी देवी वा श्री चमण राम R/o बल्लासा
- 97) श्री मनीषी देवी वा श्री चमण राम R/o बल्लासा
- 98) श्री नरेश कुमार R/o श्री मनीषी राम R/o देहरा
- 99) श्री हेम राज R/o श्री सुभद्रा राम R/o जयपुर
- 100) श्री लक्ष्मण R/o श्री वन राज R/o सुभद्रा
- 101) श्री नारायण सिंह R/o श्री लक्ष्मण सिंह R/o बल्लासा
- 102) श्री जयपुर राम R/o श्री देवराज राम R/o पंजाब
- 103) श्रीमती सुरजदेवी वा श्री चमण R/o टाटा ॥
- 104) श्रीमती ज्योति देवी वा श्री चमण लाल R/o टाटा ॥
- 105) श्रीमती वसुंधरा देवी वा श्री लक्ष्मण R/o टाटा ॥
- 106) श्रीमती नरेश देवी वा श्री राम सिंह R/o (सुभद्रा) टाटा ॥
- 107) श्रीमती राज देवी वा श्री मान सिंह R/o टाटा ॥
- 108) श्रीमती शोभा देवी वा श्री राम लाल R/o जयपुर
- 109) श्री सुखदेव R/o श्री लक्ष्मण राम R/o बल्लासा
- 110) श्री लाल राम R/o श्री लक्ष्मण राम R/o बल्लासा
- 111) श्री हेम राज R/o श्री चमण राम R/o बल्लासा

D. abhishek
Mohand Singh
92
Phanish
Santosh
96
Devesh
Nalini Kumar
Hans Raj
Soni Kailash
Neta
Kailash
102
Nandini
Eshwari
103
10

142)	श्री श्री 3 डी श्री जगत राम R/o जरेला	Devindan
143)	श्री श्री 2 राम डी श्री काशी राम R/o पंजाबी	सुख राम
144)	श्री श्री सिंग देवी श्री श्री सुख राम R/o देवा देवा	चिन्ता देवी
145)	श्री श्री सिंग देवी श्री श्री दामन चर R/o देवा	HIMODEVA
146)	श्री श्री कमला देवी श्री श्री जय सिंह R/o देवा	कमला देवी
147)	श्री श्री सरिता देवी श्री श्री मदन राम R/o देवा	श्री श्री
148)	श्री श्री देवि देवी श्री श्री कल्याण लाल R/o देवा	श्री श्री देवी
149)	श्री श्री मन्दी देवी श्री श्री हेतु राम R/o देवा	मन्दी देवी
150)	श्री श्री लाल देवी श्री श्री जय राम R/o देवा	कल्याण देवी
151)	श्री श्री गंगाराम देवी श्री श्री लाला राम R/o देवा	151
152)	श्री श्री राम राम डी श्री श्री काला राम R/o देवा	152
153)	श्री श्री लिकना राम श्री श्री चमाराम राम R/o जरेला	153
154)	श्री श्री लाल देवी श्री श्री लाला राम R/o देवा	154
155)	श्री श्री अरु देवी श्री श्री लाला राम R/o जरेला	अरु देवी
156)	श्री श्री जय राम डी श्री श्री मंगल राम R/o जरेला	नारायण
157)	श्री श्री सुनी चर डी श्री काशी राम R/o जरेला	Duni Chaur
158)	श्री श्री मनी जगदी देवी श्री श्री सुख राम R/o जरेला	158
159)	श्री श्री लाला राम डी श्री श्री परम राम R/o जरेला	159
160)	श्री श्री लाला राम डी श्री श्री सुख राम R/o देवा	Diharpur
161)	श्री श्री लाला देवी श्री श्री सुख राम R/o जरेला	लाला देवी
162)	श्री श्री सुख राम डी श्री श्री मसरी राम R/o जरेला	Khudila
163)	श्री श्री अराम डी श्री श्री अमराम R/o जरेला	अराम
164)	श्री श्री लाला राम डी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला राम
165)	श्री श्री लाला डी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला राम
166)	श्री श्री लाला देवी श्री श्री लाला राम R/o जरेला	लाला देवी
167)	श्री श्री लाला लाल डी श्री श्री लाला लाल R/o जरेला	लाला लाल
168)	श्री श्री लाला राम डी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला राम
169)	श्री श्री लाला देवी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला देवी
170)	श्री श्री लाला देवी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला देवी
171)	श्री श्री लाला देवी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला देवी
172)	श्री श्री लाला देवी श्री श्री लाला राम R/o देवा	लाला देवी

- 177) श्री अशोक राज श/0 श्री सरन R/0 जखल
- 178) श्री राजेश लाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 179) श्री जगदीश श/0 श्री अशोक राज R/0 जखल
- 180) श्री माया श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 181) श्री रतन लाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 182) श्री सुन्दर सिंह श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 183) श्री अमली कमला देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 184) श्री अमली रजनी देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 185) श्री अमली मली देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 186) श्री अमली लाल देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 187) श्री अमली लीला देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 188) श्री अमली सुन्दर देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल

मिलकर म

Reshankar

Prag Chand

रतन लाल

अशोक

Rajendra Singh

लीला देवी

लीला देवी

188

- 185) श्री अमली विमला देवी श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 186) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 187) श्री राजकुमार श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 188) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 189) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 190) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 191) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 192) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 193) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 194) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 195) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 196) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 197) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 198) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल

Raj Kumar

Raj Kumar

Prag Chand

अशोक

- 199) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल
- 200) श्री अशोकपाल श/0 श्री अशोक राम R/0 जखल

Reeta Devi

अशोक

- 201) श्री मंगल राज डी श्री पुमा कुमा र/० जल
- 202) सुशी चमाला डी ०/० श्री मंगल राज डी जल
- 203) श्रीमती मोना डी श्री जल राज डी जल
- 204) श्रीमती सीता डी श्री जल राज डी जल
- 205) श्रीमती राजा डी श्री जल राज डी जल
- 206) सुशी चमाला डी ०/० श्री जल राज डी जल
- 207) श्री पवन कुमा डी श्री जल राज डी जल
- 208) श्रीमान चंद्र डी श्री महल राज डी जल
- 209) सुशी महेश्वरी डी श्री जल राज डी जल
- 210) श्रीमती शोभा डी श्री जल राज डी जल
- 211) श्रीमती नारपती डी श्री जल राज डी जल
- 212) श्रीमती सीता डी श्री जल राज डी जल
- 213) श्रीमती रमा डी श्री जल राज डी जल
- 214) श्रीमती रमा डी श्री जल राज डी जल
- 215) श्रीमान राम डी श्री जल राज डी जल
- 216) श्री सुप्रकाश राज डी श्री जल राज डी जल
- 217) श्रीमती सत्या डी श्री जल राज डी जल
- 218) श्रीमती सीता डी श्री जल राज डी जल
- 219) श्रीमती पुत्री डी श्री जल राज डी जल
- 220) श्रीमती वनशी डी श्री जल राज डी जल
- 221) इन्द्रा देवी डी श्री जल राज डी जल
- 222) केशोलया देवी डी श्री जल राज डी जल
- 223) सुपुत्र देवी डी श्री जल राज डी जल
- 224) श्रीमान कुमा डी श्री जल राज डी जल
- 225) चिन्ता देवी डी श्री जल राज डी जल
- 226) सपना देवी डी श्री जल राज डी जल
- 227) परम शक्ति डी श्री जल राज डी जल
- 228) लता देवी डी श्री जल राज डी जल
- 229) लता देवी डी श्री जल राज डी जल
- 230) नारपती देवी डी श्री जल राज डी जल
- 231) सुमित्रा देवी डी श्री जल राज डी जल
- 232) सुवर्णा देवी डी श्री जल राज डी जल

श्रीमती राजा
 श्रीमती चमाला
 श्रीमती सीता
 श्रीमती सीता
 श्रीमती राजा
 श्रीमती चमाला
 श्रीमती पवन कुमा
 श्रीमान चंद्र
 सुशी महेश्वरी
 श्रीमती शोभा
 श्रीमती नारपती
 श्रीमती सीता
 श्रीमती रमा
 श्रीमती रमा
 श्रीमान राम
 श्री सुप्रकाश राज
 श्रीमती सत्या
 श्रीमती सीता
 श्रीमती पुत्री
 श्रीमती वनशी
 इन्द्रा देवी
 केशोलया देवी
 सुपुत्र देवी
 श्रीमान कुमा
 चिन्ता देवी
 सपना देवी
 परम शक्ति
 लता देवी
 लता देवी
 नारपती देवी
 सुमित्रा देवी
 सुवर्णा देवी

31/51

232	मनो देवी	W/O	पुत्र सिंह	R/O	जखल	मनो देवी
233	सुमर सिंह	S/O	सुजला	R/O	जखल	सुमर सिंह
234	सोम प्रभाश	S/O	सोमव्या	R/O	जखल	सोम देवी
235	सुमर देवी	W/O	साल	R/O	जखल	सुमर देवी
236	सुनील देवी	W/O	देव चंदे	R/O	जखल	सुनील देवी
237	पुपला देवी	W/O	दुसराज	R/O	देहरा	पुपला देवी
238	मिमा देवी	W/O	नरेश कुमार	R/O	देहरा	मिमा देवी
239	अजु देवी	W/O	धर्मपाल	R/O	उलाडा	अजु देवी
240	रमा देवी	W/O	देसराज	R/O	उलाडा	रमा देवी
241	रम लता	W/O	श्री रजोला राम	R/O	वलाहवा	Khumbata
242	चिन्ता देवी	W/O	इ-रसिंह	R/O	वलाहवा	चिन्ता देवी
243	काला देवी	W/O	रामपाल	R/O	वलाहवा	
244	अदर देवी	W/O	पिलाराज	R/O	वलाहवा	
245	लोकराज	S/O	काशीराम	R/O	वलाहवा	
246	धर्मपाल	S/O	काशीराम	R/O	वलाहवा	
247	काब्रि राम	S/O	धुंगल	R/O	सिलागांव	
248	मनवरा	W/O	कालकराज	R/O	सिलागांव	
249	मीम सिंह	S/O	प्रमोदचंद	R/O	Bahara	
250	पवन कुमर	S/O	अमरचंद	R/O	वलाहवा	
251	मनोरमा देवी	W/O	मिमासिंह	R/O	वलाहवा	Mangoma Devi
252	विद्या देवी	W/O	इ-रसिंह	R/O	वलाहवा	Vidya Devi
253	विना देवी	W/O	पवनकुमार	R/O	वलाहवा	Veena Devi
254	इ-रसिंह	W/O	गोशरवा राम	R/O	वलाहवा	Under Dev
255	रशनी देवी	W/O	वृत्त लाल	R/O	वलाहवा	रशनी देवी
256	रामसिंह	S/O	धर्मदास	R/O	जखल	Ram Singh
257	इ-रसिंह	S/O	रामपाल	R/O	वलाहवा	Under Dev
258	हतराम	S/O	रिगल	R/O	त्रवाही	Under Dev
259	मनचंद	S/O	सत सिंह	R/O	सावल	Under Dev
260	वालकराज	S/O	लोकराज	R/O	जखल	Under Dev
261						

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HPTWA Sundernagar

परमाणु संख्या 01 - ...

इस कि आज भी ... 20-12-5 ...

परमाणु संख्या 02 - ...

...

[Signature]

[Signature]

Executive Engineer, Sundarnagar Division

10/05

समस्त पंचायत समितियों के सहायक प्रमुख जरल / डी.ई. गैर
 वन अधिकार समिति के द्वारा जल विभाग विभाग का खंडन के लिए
 मुहल जरल को। जिसके प्रमाण के अन्तर्गत प्रमाणित किया जा रहा है।
 जल अधिकार समिति द्वारा जल अधिकार समिति के द्वारा
 लोक विभाग विभाग को जानकारी से लेना जाना जरल तक खंडन के
 विभाग है। मुहल जरल को लिखना चाहिए - क्या है जल पंपिंग जरल
 में चरखा करनी थी। परन्तु जो दिनांक तक जल विभाग को
 कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही जल विभाग को सूचित किया जा रहा है।
 मुहल जरल के जो दिनांक प्रमाणित मुहल जरल को बंधन की गति
 जिसके अन्तर्गत सविस्तर से पारित हुआ। जो कि (निर्माण) हुआ
 वन अधिकार समिति द्वारा जल अधिकार समिति द्वारा मुहल जरल
 जरल / डी.ई. गैर है। वीथी करनी गई।

(Signature)
 जल विभाग
 प्रमुख पंचायत समिति
 सुन्दरनगर जिला मण्डी (दि. 10/05)

अध्यक्ष *(Signature)*
 वन अधिकार समिति
 मुहल जरल ग्राम पंचायत जरल
 तहसील सुन्दर नगर जिला मण्डी (दि. 10/05)

(Signature)
**Executive Engineer,
 Sundernagar Division
 HPPWD, Sundernagar**

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
8.	Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to soil erosion/landslide, therefore as per the recent directions of MoEF&CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I	The HPPWD has already submitted the Soil and Moisture Conservation Plan (SMP), indicating both engineering and biological measures along with the cost estimates. The cost thereof has been deposited against 0.5% of the project cost, proportionate to the concerned forest land.

compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.

c/s


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

64

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
9.	एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।	एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

9/5

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच.पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच.पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
10.	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

9/5


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:- 10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - -171001के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

c/s

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:- 10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
12.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 30 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में काटे जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

45

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
Date:- 10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

68

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
13.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, निर्देशानुसार लक्षित किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

1/5


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
Date:- 10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

(69)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:- भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
14.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

4/5

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

70

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी/एच.पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी/एच.पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
15.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल(https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड 26,42,585/- दिनांक 01-07-2023 को सृजित ई-चालान के माध्यम से केम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। जमा राशि का ऑनलाइन चालान की कॉपी और विवरण (HPTR-RTGS/NEFT ADVICE) संलग्न है।

९/९

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

71

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-06-2023

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6152156557
MoEF/SG File No.	FC/HPB/06/69/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	HPPWD NIRMAN BHAWAN Shimla
Amount(in Rs)	2642585/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Forty-Two Thousand Five Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150706152156557 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-06-2023

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6152156557
MoEF/SG File No.	FC/HPB/06/69/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	HPPWD NIRMAN BHAWAN Shimla
Amount(in Rs)	2642585/-

Amount in Words :Twenty-Six Lakh Forty-Two Thousand Five Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150706152156557 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print Back

Assistant Engineer
PIU Sub Division
HPPWD Dehar

Executive Engineer
HPPWD Division,
Sunder Nagar (H.P.)


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

**HPTR-RTGS
RTGS/NEFT**

Treasury Code		MDI01	DDO Code No.		60300	
DDO/SDO Description		Executive Engineer, Sunder Nagar Division, H.P.P.W.D. Sunder Nagar.				
Pre-Assigned Token No.		22139881			Date	01.07.2023
To be directly credited to following accounts				Total Amount	Rs. 2781239	/- only
Sr. No.	Beneficiary Name	Transaction amount	Contractor ID	Accont No	IFSC Code	Remitter,s Name
1	Campa	2642585	MA60310831	150706152156557	UBIN0996335	PWD
2	Jeevan Karyana Store	56090	MA60310832	7490002100000171	PUNB0749000	PWD
3	Dharam Singh	82654	MA60310630	87430100013928	PUNB0HPGB04	PWD
Total:-		2781239				

Amount in words:-

Rs. (Twenty Seven Lac Eighty One Thousand Two Hundred and Thirty Nine) only.


 Executive Engineer,
 Sunder Nagar Division,
 H.P.P.W.D. Sunder Nagar.

Received By:

HPTR-RTGS

Executive Engineer
HPPWD Division,
Sunder Nagar (H.P.)

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Assistant Engineer
PIU Sub Division
HPPWD Dehar

HAND RECEIPT

73

Central P.W.A. Code paragraphs, 212, 218, 234 to be used as simple forms of Vouchers for all miscellaneous Payment & Advance for which none of the all special forms 24, 25, 26 are suitable

ADHRS: C.M.P.A.

Voucher No.

Chargeable to Sub. Div. Dehar Date 11/07/2023

Cheque/Cash Rs. 26,42,585/2 Token No. 2213988 Rupees Twenty six lacs forty two thousand five hundred eighty five only

Received a Sum of Rs. 26,42,585/2 (Rupees Twenty six lacs forty two thousand five hundred eighty five only) Only Paid by me

from the Assistant Engineer H.P.P.W.D. Sub Division Dehar

Name of Work purchase for which payment is made C.A. Amount, N.P.V. Amount & Sold 2 masts

M.B. No. 3848 Page 29 Taken by RTIS

Verified for Rs. 26,42,585/2 (Rupees Twenty six lacs forty two thousand five hundred eighty five only)

Witness [Signature]

Signature of Payees
[Signature]
Executive Engineer,
Sunder Nagar Division,
HPPWD Sunder Nagar.

Sr. Divl. Accounts Officer,
H.P.P.W.D. Division,
Sunder Nagar (H.P.)

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Sundernagar.

Assistant Engineer
PIU Sub Division
HPPWD Dehar

Executive Engineer
HPPWD Division,
Sunder Nagar (H.P.)

**HPTR-RTGS
RTGS/NEFT**

74

DDO Description	MDI01	DDO Code No.	60300
Assigned Token No.	Executive Engineer, Sunder Nagar Division, H.P.P.W.D. Sunder Nagar.		
be directly credited to following accounts		22139886	Date
Beneficiary Name		Total Amount	Rs. 142764
No.	2	Contractor ID	4
1	Deputy Conservator of Forest	Account No	5
1	Suket	IFSC Code	6
Total:-		Draft Mode (SBI Chatrokhari Sundernagar)	
Transaction amount		7	
142764		PWD	
142764		PWD	

Amount in words:- Rs. (One Lac Forty Two Thousand Seven Hundred & Sixty Four) only.


 Executive Engineer,
 Sunder Nagar Division,
 H.P.P.W.D. Sunder Nagar.

Received By:
HPTR-RTGS

**Executive Engineer,
HPPWD Division,
Sunder Nagar (H.P.)**


**Assistant Engineer
 PIU Sub Division
 HPPWD Dehar**

**Divisional Forest Officer
 Suket Forest Division
 Sundernagar**

HAND RECEIPT

C.P.W. 28

75

1. O. No. 224 for Rs. 1,42,764/- one lac forty two thousand seven hundred and sixty four only of the all special forms 24, 25, 26 are suitable

Divisional Forest Officer Sunder Nagar

Chargeable to Mr. K. K. Singh, Assistant Engineer, PIU Sub Division

Book Voucher No.

by Cheque/Cash a Sum of Rs. 1,42,764/- Paid vide Token No. 123456789

Received a Sum of Rs. 1,42,764/- (Rupees one lac forty two thousand seven hundred and sixty four only)

from the Assistant Engineer, P. V. M. D. Sub Division Dehar

Name of Work purchase for which payment is made: Departmental charges on C.A.

M.B. No. Page 142764 (Rupees one lac forty two thousand seven hundred and sixty four only by RTGS)

Verified for Rs. 1,42,764/- (Rupees one lac forty two thousand seven hundred and sixty four only) Sr. Divnl. Accounts Officer, Sunder Nagar (H.P.)

Signature of Payee: Executive Engineer, Sunder Nagar Division, HPPWD Sunder Nagar.

Witness: [Signature]

Executive Engineer HPPWD Division, Sunder Nagar (H.P.)

Assistant Engineer PIU Sub Division HPPWD Dehar

Divisional Forest Officer Sunder Nagar

77

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
16.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), के 1986 प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू होने पर प्राप्त कर दिया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division 1
Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

78

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
17.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S

Place:

Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

(79)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
18.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

CE

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025

~~Divisional Forest Officer~~
Suket Forest Division
Sundernagar

(80)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच. पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
19.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

ck

Place:- Sunder Nagar

Date:- 10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

81

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
20	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

ls

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

**Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar**


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

82

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
21.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

५

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar

Date:- 10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar

83

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
22	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

4/5


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

Place:- Sunder Nagar
Date:- 10-09-2025


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

84

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
23	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

**Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar**


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

85

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

86

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
25	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा जिसमें अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे नहीं गिरेगा। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

५९

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

87

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
26	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

CK

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

88

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jeghali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
27	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

८

Place:- Sunder Nagar
Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar


Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar

(89)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 1.6676 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kangri to Jekhali via Jaral road, within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/52156/2020).

संदर्भ:-

भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171001 के पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लौंगवुड शिमला, हिमाचल प्रदेश -171001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० एफ. सी /एच .पी.बी 06/69/2022 दिनांक 28.03.2023.के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
28	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

c/s

Place:- Sunder Nagar

Date:-10-09-2025

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar

Executive Engineer,
Sundernagar Division
HP.PWD. Sundernagar